

11.06.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। अपीलांटी अधिवक्ता अनुपस्थित
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मान
पाया पूर्व आदेशिका 16.02.2024 के अनुसार अपील
को एव अपीलांट अधिवक्ता को बार-बार आवाज लग
गई। अवाज लगाने के उपरान्त
असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। अपीलांट
अपीलांट अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण
अपील खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से क
की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



@amp